द्वारा फैक्स / ईमेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स

पुलिस मुख्यालय(सिग्नेचर भवन) पंचम तल टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज02 लखनऊ-226010,
फैक्स नम्बर-0522-2724030 फोन-0522-2724027 ईमेल-LOGISTICOFFICE4@GMAIL.COM

संख्या:लॉजि0-19-2026(उपनिरीक्षक आरमोरर पदो0) **दिनांक:अक्टूबर7, 2026**

आदेश

उत्तरप्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2016 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित मुख्य आरक्षी आरमोरर पुलिस को उपनिरीक्षक आरमोरर पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरांत इन्हें तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उपनिरीक्षक आरमोरर पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	पी0एन0ओ0 नम्बर	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति जनपद/इकाई	जन्मतिथि	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	910490902	चन्द्रहास	श्री खजान सिंह	01वीं वाहिनी वि0सु0बल लखनऊ	15.07.1971	2026
2	922011160	संजीव कुमार	श्री जानकी प्रसाद	स्पॉट / एटीएस उ0प्र0	01.06.1973	2026

2- पदोन्नति पाये उपनिरीक्षक आरमोरर पुलिस अपने नियुक्ति स्थान जनपद / इकाई के मुख्यालय पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे उ0प्र0 पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2016 के प्रस्तर-13 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये उपनिरीक्षक आरमोरर पुलिस की आगामी नियुक्ति / स्थानांतरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश पारित किये जायेंगे।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित मुख्य आरक्षी आरमोरर पुलिस से प्रारूप "क" में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या-13/21/89-क-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी 03 परिस्थितियों यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है (ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, मुख्य आरक्षी आरमोरर पुलिस के विरूद्ध विद्यमान नहीं हों।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उपर्युक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान नहीं है तो उपरोक्त मुख्य आरक्षी आरमोरर पुलिस को उपनिरीक्षक आरमोरर पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती है, तो ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित मुख्य आरक्षी आरमोरर पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद / इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद / इकाई में उनके द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को उसकी पदोन्नति निरस्त कर उसके मूल पद पर पदावनत करते हुये उसके विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः घोषणा पत्र की प्रति।

(डॉ0 संजीव गुप्ता) 7/10/26
अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर सचिव(प्रोन्नति), उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 22.09.2026 के क्रम में।
2- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 को उनके पत्र दिनांक 01.10.2026 के क्रम में।
3- पुलिस महानिरीक्षक, एटीएस उ0प्र0 लखनऊ को अनुपालन कराकर लॉजिस्टिक्स कार्यालय को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।
4- सेनानायक, 01वीं वाहिनी वि0सु0बल लखनऊ अनुपालन कराकर लॉजिस्टिक्स कार्यालय को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।